



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—४, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, १७ जनवरी, २०१४

पौष २७, १९३५ शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग—१

संख्या १८५/छ:-पु-१-१४-११५-०८

लखनऊ, १७ जनवरी, २०१४

अधिसूचना

प्रकीर्ण

साठपनि—२

पुलिस अधिनियम, १८६१ (अधिनियम संख्या ५ सन् १८६१) की धारा २ और धारा ४६ की उपधारा (३) के साथ पठित उपधारा (२) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, २००८ को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, २०१४

१—(१) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (षष्ठम् संशोधन) नियमावली, २०१४ कही जायेगी।

(२) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2008, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम-5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1

विद्यमान उप नियम

(2) मुख्य आरक्षी—मुख्य आरक्षी के 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती पात्र आरक्षियों के मध्य आयोजित विभागीय परीक्षा एवं 50 प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

नियम 17 का
संशोधन

3—उक्त नियमावली में, नियम 17 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान खण्ड

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति के लिये निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे मुख्य आरक्षी भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों। ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया परिशिष्ट-2 (2) में दी गयी है।

परिशिष्ट-2 का
संशोधन

4—उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान परिशिष्ट-2 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1

विद्यमान परिशिष्ट

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण—

1—शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

(चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।

(पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित उप नियम

(2) मुख्य आरक्षी—मुख्य आरक्षी के शत-प्रतिशत रिक्तियों की भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये पात्र अभ्यर्थियों में ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जायेगी।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड

(ख) वे आरक्षी जो बिना पारी पदोन्नत किये गये हों और मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के रूप में कार्यरत हों, भी अपनी मौलिक श्रेणी में अपनी ज्येष्ठता के अनुसार मुख्य आरक्षी सिविल पुलिस के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होंगे।

स्तम्भ-2

एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण—

1—शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन एक दल द्वारा किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं :-

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

(चार) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अनुसूचित जाति का एक अधिकारी।

(पाँच) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट नागरिक श्रेणी का अन्य पिछड़ा वर्ग का एक अधिकारी।

स्तम्भ-1**विद्यमान परिशिष्ट**

(छ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2-आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी० की दौड़ 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी० की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय-सीमा के आधार पर दौड़ के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 100 अंक और न्यूनतम 60 अंक होंगे जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नवत् है।

(एक) पुरुषों के लिये 4.8 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
20 तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30	60

टिप्पणी :—समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तक की जायेगी।

(दो) महिलाओं के लिये 2.4 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
14 तक	100
14 मिनट 01 सेकण्ड से 16	80
16 मिनट 01 सेकण्ड से 18	60

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**

(छ) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम-निर्दिष्ट अल्पसंख्यक श्रेणी का एक अधिकारी।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2-आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी० की दौड़ 30 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी० की दौड़ 18 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन अभ्यर्थी द्वारा लिये गये समय-सीमा के आधार पर दौड़ के लिये किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 100 अंक और न्यूनतम 60 अंक होंगे जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करने वाले किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये जा सकते हैं। अंकों का विभाजन निम्नवत् है।

(एक) पुरुषों के लिये 4.8 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी तीस मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
20 मिनट तक	100
20 मिनट 01 सेकण्ड से 25 मिनट	80
25 मिनट 01 सेकण्ड से 30 मिनट	60

टिप्पणी :—समय की संगणना निकटतम सेकण्ड तक की जायेगी।

(दो) महिलाओं के लिये 2.4 किलोमीटर की दौड़ (अर्हकारी अठारह मिनट)

मिनट (') और सेकण्ड (") में समय सीमा	
समय सीमा	अंक
14 मिनट तक	100
14 मिनट 01 सेकण्ड से 16 मिनट	80
16 मिनट 01 सेकण्ड से 18 मिनट	60

स्तम्भ-1**विद्यमान परिशिष्ट**

टिप्पणी :—समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3—पदोन्नति द्वारा भर्ती हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 3.2 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में पूर्ण करनी होगी। यह परीक्षण अर्हकारी अंकों का होगा।

4—दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

5—दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :—

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिये भिन्न-भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दापिंडक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

स्तम्भ-2**एतदद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट**

टिप्पणी :—समय की संगणना निकटतम सेकेण्ड तक की जायेगी।

3—दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी०सी०टी०वी० कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रानिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4—दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा :—

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये प्रत्येक परीक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय और न्यूनतम शारीरिक मानकों के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दापिंडक कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

स्तम्भ-1
विद्यमान परिशिष्ट

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी:—समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित परिशिष्ट

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक मानक परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो उनके नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। परीक्षा में सम्मिलित न होने के कारण अथवा विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षण के लिये कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी:—समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके समन किये जाने पर या किसी जांच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,
अनिल कुमार गुप्ता,
प्रमुख सचिव।